न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01 / 2026

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2026 / 10

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
1 पार्वती पुत्री निम्बाराम पत्नी राणाराम, कौम–देवासी, निवासी–मारूखेड़ा, हाल निवासी–करवाड़ा	1 सरपंच ग्राम पंचायत पमाणा वगैरह

स्थगन प्रार्थना–पत्र

तारीख रजु :– 06.01.2026

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई व राजेश भादू उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश हेमागुड़ा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 1, 7 लगायत 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 08.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा मारूखेड़ के खेत खसरा संख्या 102, 106, 109, 109 / 1553, 121, 122, 125, 126, 1737 / 123 जुमले रकबा 14.07 हैक्टेयर है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 की पैतृक पारिवारिक आराजी आई हुई है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 स्व. निम्बाराम के जायन्दा पुत्र एवं कानूनी वारिसान् होने से उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण हिन्दू उताराधिकार अधिनियम धारा 6 के अनुसार प्रत्येक का जन्म से ही अधिकार पैदा होने से स्व. निम्बाराम के बजाय प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के नाम की दुरूस्ती की जानी विधि संगत है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 ने प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 5, 6 का उपरोक्त खातेदारी आराजी में से खातेदार अधिकार से वंचित करने की नियत से अप्रार्थीसंख्या 1 ग्राम पंचायत पमाणा से मिलावट कर स्व. निम्बाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 20.02.2017 अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के नाम अवैध व विधिविरूद्व रूप से स्वीकृत कर तमाम राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत के नाम की अवैध दुरूस्ती कर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 5, 6 का अपने हिस्से की खातेदारी अधिकार से वंचित कर हानि पहुंचाई है। अप्रार्थीगण में दिनांक 20.12.2025 को मौवे पर आकर प्रार्थीया को उक्त आराजी से बेदखल करने की व किसी तीसरे पक्षकार को बेचान करने की एलानियां मोखिक धमकी दी। अप्रार्थीगण उक्त आराजी किसी तीसरे अनजबी

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

पक्षकार को बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द फरमावें कि वांके मौजा मारूखेड़ा के खेत खसरा संख्या 102, 106, 109, 109/1553, 121, 122, 125, 126, 1737/123 जुमले रकबा 14.07 हैक्टेयर की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया के पक्ष में सादिर की जाती है तो हम अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 को किसी प्रकार का उजर या एतराज नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 7 लगायत 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सरहद मौजा मारूखेड़ा के खसरा संख्या 102, 106, 109, 109/1553, 121, 122, 125, 126, 1737/123 जुमले रकबा 14.07 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **08.05.2026** को सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर